

कार्यालय-जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, गोण्डा।

पत्रांक C-1991

/जि0का0अधि0/विज्ञापन/2025-26/दिनांक 08, नवम्बर, 2025

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 1/1092245/2025/3313/58-1-2025(197687)दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद अमरोहा के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के चयन हेतु मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत आंगनबाड़ी भर्ती पोर्टल upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	परियोजना का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के कुल स्वीकृत पदों का आरक्षण वार विवरण				
			सामान्य जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल पद
1	शहर	05	0	0	02	03	05
2	पड़रीकृपाल	01	01	0	0	0	01
3	बभनजोत	02	02	0	0	0	02
4	हलधरमऊ	01	0	01	0	0	01
5	मनकापुर	01	01	0	0	0	01
6	तरबगंज	01	0	01	0	0	01
7	इटियाथोक	01	0	0	01	0	01
8	बेलसर	01	0	0	01	0	01
9	छपिया	01	0	0	01	0	01
	योग	14	04	02	05	03	14

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

- 1- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार होगी।
- 2- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक 01.07.2025 को 18 वर्ष आयु होनी चाहिए/आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी।
- 3- उसी ग्राम सभा/वार्ड(शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिव तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।
- 4- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवारपंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
- 5- गरीबी रेखा से नीचे की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला न मिलने पर उसी उसी ग्राम सभा/वार्ड(शहरी क्षेत्रों में)की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा महिला/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं।
- 6- उपरोक्तानुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड(शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
- 7- निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका आनलाईन सत्यापन हो।
- 8- आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11-रा0-9 दिनांक 30.09.2021(यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
- 9- आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाईन व सही-सही सावधानीपूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाईन फार्म में किया गया होगा।
- 10- आनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 28.11.2025 होगी।

11- रिक्त पदों का विस्तृत विवरण जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर एवं विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर देखा जा सकता है।

(संजय कुमार)

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
गोण्डा।

पृष्ठांकन संख्या C-199/तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, महोदय गोण्डा।
3. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय गोण्डा।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गोण्डा को रिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्रों की सूची एवं संबंधित विज्ञापन पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया NIC की वेबसाइट पर प्रचार प्रसार हेतु अपलोड करने का कष्ट करें।
6. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद गोण्डा।
7. कार्यालय प्रति।



जिला कार्यक्रम अधिकारी,
गोण्डा।